APPENDIX - XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. सीएफओ/एन/ओजीआर/2026(A-7) Dated: 18.06.2026

Certified that the Anandi Academy Bageshwar (name of the building or premises) at Vill+Post - Ghiroli, Dist. - Bageshwar (address) comprised of 02 basement(s) and 03 (upper floors) owned/ occupied by Anandi Academy Bageshwar (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 13.06.2026 (date of inspection) in the presence of Gaurave Pant (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) With effect from 18.06.2026 for a period of Three Year year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1.
2.
3.
4.

Issued on 18.06.2026 (date of issue) at Bageshwar (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: [signature] अग्निशमन अधिकारी जनपद बागेश्वर

Name : [handwritten name]

Designation : अग्नि शमन अधिकारी

Name & Address of Department/ Office: कार्यालय [illegible]

To
Anandi Academy Bageshwar
Vill+Post - Ghiroli, Dist. - Bageshwar
(Name & Address of the Institution)

[signature] Principal Anandi Academy Ghiroli (Bageshwar)

[signature] Manager Anandi Academy Ghiroli (Bageshwar)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to ....

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**

ईमेल—cfoalm.ukfs@gmail.com.

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोड़ा।

पत्रांकः सीएफओ/एन/बीजीआर/2026(A-7)

दिनांकः जून 18 ,2026।

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक
आनन्दी अकेडमी
ग्राम—घिरोली, जिला—बागेश्वर

विषयः— अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके यूनिक नम्बर—61872284 दिनांकः 13.06.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन बागेश्वर द्वारा किया गया, प्रभारी अग्निशमनं अधिकारी बागेश्वर की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 08.06.2026 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु (एबीसी क्षमता 04 कि0ग्रा0 के 19 अदद, सीओटू 4.5 किग्रा0 के 03 अदद, फायर अलार्म 01 अदद, होजरील 03 अदद, पॉच हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड़ व 15 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत रिजर्व वाटर टैंक स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र विभागीय मेल में प्रस्तुत/अपलोड करना आवश्यक होगा, स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड़ ना किये जाने की दशा में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बागेश्वर की संस्तुति के आधार पर संस्थान का प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रथम ब्लॉक के भूतल में 01 कार्यालय, 04 क्लास रूम, प्रथम तल में 08 कमरें व 01 स्टोर, द्वितीय तल में 07 क्लास रूम, तृतीय तल में 01 हॉल 08 कमरें, द्वितीय ब्लाक में भूतल में 03 क्लॉस रूम, द्वितीय तल में 04 क्लॉस रूम हेतु) दिनांकः 18 जून 2026 से 17 जून 2029 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

01 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सेटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
02 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
03 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
04 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
05 संस्थान के अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
06 इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
07 संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
08 संस्थान की समस्त विद्युत वायरिंग व विद्युत उपकरणो को समय—समय पर चैक कराया जाना नितांत आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा/बागेश्वर।